	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 02, शुक्रवार, शाके 1943-सितम्बर 24, 2021 *Asvina 02, Friday, Saka 1943- September 24, 2021*	

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 23, 2021

संख्या प.2(24)विधि/2/2021.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 23 सितम्बर, 2021 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021

(2021 का अधिनियम संख्यांक 8)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 23 सितम्बर, 2021 को प्राप्त हुई)

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

(2) यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के प्रारंभ के ऐसे किसी उपबंध में के किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश से किया जायेगा।

2. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 7 का संशोधन.- राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 7 की उप-धारा (1) के विद्यमान खण्ड (क) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ख) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अंत:स्थापित किया जायेगा और 1 जुलाई, 2017 से अंत:स्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:-

"(कक) किसी व्यष्टि से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उसके सदस्यों या घटकों या विपर्ययेन से नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए क्रियाकलाप या संव्यवहार;

स्पष्टीकरण.- इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस व्यक्ति और उसके सदस्यों या घटकों को दो पृथक्-पृथक् व्यक्ति समझा जायेगा और क्रियाकलापों का प्रदाय या संव्यवहार, परस्पर ऐसे एक व्यक्ति से अन्य को किया गया समझा जायेगा;"।

3. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 16 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (2) के विद्यमान खण्ड (क) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ख) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(कक) खण्ड (क) में निर्दिष्ट बीजक या नामे नोट के ब्यौरे प्रदायकर्ता द्वारा जावक प्रदाय के विवरण में नहीं दिये गये हैं और ऐसे ब्यौरे, धारा 37 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति से ऐसे बीजक या नामे नोट के प्राप्तिकर्ता को संसूचित नहीं किये गये हैं;"।

4. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 35 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 35 की विद्यमान उप-धारा (5) हटायी जायेगी और 1 अगस्त, 2021 से हटायी हुई समझी जाएगी।

5. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 44 का प्रतिस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 44 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा और 1 अगस्त, 2021 से प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जाएगा, अर्थात्:-

"**44. वार्षिक विवरणी.-** इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इलेक्ट्रानिक रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे समय के भीतर-भीतर और ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा, जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत विवरणी में घोषित प्रदायों के मूल्य को संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ मिलाते हुए एक स्वप्रमाणित समाधान विवरण सम्मिलित किया जा सकेगा:

परन्तु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को इस धारा के अधीन वार्षिक विवरणी फाइल करने से छूट प्रदान कर सकेगा:

परन्तु यह और कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकारी को, जिसकी लेखा बहियां भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा, या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त किसी संपरीक्षक द्वारा, लेखापरीक्षा के अध्यधीन हैं, लागू नहीं होगी।"।

6. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 50 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (1) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा और 1 जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु धारा 39 के उपबंधों के अनुसार नियत तारीख के पश्चात्, किसी कर कालावधि के दौरान किये गये प्रदायों के संबंध में और उक्त कालावधि के लिए दी गयी विवरणी में घोषित संदेय कर पर ब्याज, सिवाय वहां के, जहां ऐसी विवरणी उक्त कालावधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रारंभ के पश्चात् दी जाती है, कर के उस भाग पर, जिसका संदाय इलेक्ट्रानिक नकद खाते से निकासी द्वारा किया जाता है, संदेय होगा।"।

7. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 74 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 74 के स्पष्टीकरण 1 के खण्ड (ii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 122, 125, 129 और धारा 130" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "धारा 122 और 125" प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 75 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 75 की उप-धारा (12) में निम्नलिखित नया स्पष्टीकरण जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"**स्पष्टीकरण.-** इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "स्वत: निर्धारित कर" में धारा 37 के अधीन प्रस्तुत किये गये जावक प्रदायों के ब्यौरों के संबंध में संदेय कर, सम्मिलित होगा किन्तु धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में सम्मिलित नहीं किया गया है।"।

9. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 83 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 83 की विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) जहां अध्याय 12, अध्याय 14 या अध्याय 15 के अधीन किसी कार्यवाही के आरंभ होने के पश्चात्, आयुक्त का यह मत है कि सरकारी राजस्व के हित का संरक्षण करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वह, लिखित आदेश द्वारा, कराधेय व्यक्ति या धारा 122 की उप-धारा (1क) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति से संबंधित किसी संपत्ति,

जिसमें बैंक खाता भी सम्मिलित है, को ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा।"।

10. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 107 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (6) में, अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और उसके पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु धारा 129 की उप-धारा (3) के अधीन, किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जायेगी, जब तक कि अपीलकर्ता द्वारा, शास्ति के पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि का, संदाय नहीं कर दिया गया हो।"।

11. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 129 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 129 में,-

(i) उप-धारा (1) के विद्यमान खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(क) ऐसे माल पर संदेय कर के दो सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति के संदाय पर और छूट प्राप्त माल की दशा में, माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर रकम या पच्चीस हजार रुपये, जो भी कम हो, के संदाय पर, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है;

(ख) ऐसे माल के मूल्य के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति या ऐसे माल पर संदेय कर के दो सौ प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के संदाय पर और छूट प्राप्त माल की दशा में, ऐसे माल के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर रकम या पच्चीस हजार रुपये, जो भी कम हो, के संदाय पर, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे नहीं आता है;";

(ii) विद्यमान उप-धारा (2) हटायी जायेगी;

(iii) विद्यमान उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(3) माल या प्रवहण का निरोध या अभिग्रहण करने वाला समुचित अधिकारी, ऐसे निरोध या अभिग्रहण के सात दिवस के भीतर-भीतर, संदेय शास्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए, नोटिस जारी करेगा और उसके पश्चात्, ऐसे नोटिस की तामील की तारीख से सात दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर उप-धारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन शास्ति के संदाय के लिए आदेश पारित करेगा।";

(iv) उप-धारा (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "कोई कर, ब्याज या शास्ति" के स्थान पर अभिव्यक्ति "कोई शास्ति" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(v) विद्यमान उप-धारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(6) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या ऐसे माल का स्वामी उप-धारा (3) के अधीन पारित आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर-भीतर, उप-धारा (1) के अधीन शास्ति की रकम का संदाय करने में असफल रहता है, वहां इस प्रकार निरुद्ध या अभिगृहीत माल या प्रवहण, उप-धारा (3) के अधीन संदेय शास्ति की वसूली के लिए ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर-भीतर, जैसाकि विहित किया जाये, विक्रय किये जाने या अन्यथा निपटाये जाने का दायी होगा:

परन्तु परिवहनकर्ता द्वारा उप-धारा (3) के अधीन शास्ति या एक लाख रुपये, जो भी कम हो, का संदाय किये जाने पर प्रवहण को निर्मुक्त किया जायेगा:

परन्तु यह और कि जहां निरुद्ध या अभिगृहीत माल नष्ट होने योग्य या परिसंकटमय प्रकृति का है या समय के साथ उसके मूल्य में ह्रास होने की संभावना है तो उक्त पन्द्रह दिवस की कालावधि समुचित अधिकारी द्वारा कम की जा सकेगी।"।

12. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 130 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 130 में,-

(i) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि कोई" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "जहां कोई" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) उप-धारा (2) के द्वितीय परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 129 की उप-धारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति की रकम से कम नहीं होगा:" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "ऐसे माल पर संदेय कर के एक सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति से कम नहीं होगा:" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) विद्यमान उप-धारा (3) हटायी जायेगी।

13. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 151 का प्रतिस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 151 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**151. सूचना मंगवाने की शक्ति.-** आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति को, ऐसे समय के भीतर-भीतर, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाये, इस अधिनियम के संबंध में व्यवहृत किसी मामले से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने के लिए निदेश दे सकेगा।"।

14. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 152 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 152 में,-

(i) उप-धारा (1) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "किसी व्यष्टि विवरणी या उसके भाग की सूचना," के स्थान पर अभिव्यक्ति "कोई भी सूचना," प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "समर्थ बना सकें और" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसी सूचना इस अधिनियम" से पूर्व, अभिव्यक्ति "संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना" अंत:स्थापित की जायेगी;

(ii) विद्यमान उप-धारा (2) हटायी जायेगी।

15. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की अनुसूची 2 का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची 2 में, विद्यमान पैरा 7 हटाया जायेगा और 1 जुलाई, 2017 से हटाया हुआ समझा जायेगा।

विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION
Jaipur, September 23, 2021

No. F. 2(24)Vidhi/2/2021.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Maal aur Seva Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2021 (2021 Ka Adhiniyam Sankhyank 8):-

(Authorised English Translation)
THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2021
(Act No. 8 of 2021)

(Received the assent of the Governor on the 23rd day of September, 2021)

An
Act

further to amend the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021.

(2) Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

2. Amendment of section 7, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing clause (a) and before the existing clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), hereinafter referred to as the principal Act, the following new clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:–

"(aa) the activities or transactions, by a person, other than an individual, to its members or constituents or *vice-versa*, for cash, deferred payment or other valuable consideration;

Explanation.-For the purposes of this clause, it is hereby clarified that, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or any judgment, decree or order of any Court, tribunal or authority, the person and its members or constituents shall be deemed to be two separate persons and the supply of activities or transactions *inter se* shall be deemed to take place from one such person to another;".

3. Amendment of section 16, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing clause (a) and before the existing clause (b) of sub-section (2) of section 16 of the principal Act, the following new clause shall be inserted, namely:—

"(aa) the details of the invoice or debit note referred to in clause (a) has been furnished by the supplier in the statement of outward supplies and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified under section 37;".

4. Amendment of section 35, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- The existing sub-section (5) of section 35 of the principal Act, shall be deleted and shall be deemed to have been deleted with effect from 1st day of August, 2021.

5. Amendment of section 44, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- For the existing section 44 of the principal Act, the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st day of August, 2021, namely:—

"**44. Annual return.-** Every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person shall furnish an annual return which may include a self- certified reconciliation statement, reconciling the value of supplies declared in the return furnished for the financial year, with the audited annual financial statement for every financial year electronically, within such time and in such form and in such manner as may be prescribed:

Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by notification, exempt any class of registered persons from filing annual return under this section:

Provided further that nothing contained in this section shall apply to any department of the Central Government or a State Government or a local authority, whose books of account are subject to audit by the Comptroller and Auditor- General of India or an auditor appointed for auditing the accounts of local authorities under any law for the time being in force.".

6. Amendment of section 50, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- For the existing proviso to sub-section (1) of section 50 of the principal Act, the following shall be

substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—

"Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period, shall be payable on that portion of the tax which is paid by debiting the electronic cash ledger.".

7. Amendment of section 74, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In clause (ii) of Explanation 1 of section 74 of the principal Act, for the existing expression "sections 122, 125, 129 and 130", the expression "sections 122 and 125" shall be substituted.

8. Amendment of section 75, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (12) of section 75 of the principal Act, the following new Explanation shall be added, namely:—

"Explanation.— For the purposes of this sub-section, the expression "self-assessed tax" shall include the tax payable in respect of details of outward supplies furnished under section 37, but not included in the return furnished under section 39".

9. Amendment of section 83, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- For the existing sub-section (1) of section 83 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"(1) Where, after the initiation of any proceeding under Chapter XII, Chapter XIV or Chapter XV, the Commissioner is of the opinion that for the purpose of protecting the interest of the Government revenue it is necessary so to do, he may, by order in writing, attach provisionally, any property, including bank account, belonging to the taxable person or any person specified in sub-section (1A) of section 122, in such manner as may be prescribed.".

10. Amendment of section 107, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (6) of section 107 of the principal Act, for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and thereafter the following new proviso shall be added, namely:—

"Provided that no appeal shall be filed against an order under sub-section (3) of section 129, unless a sum equal to twenty-five per cent of the penalty has been paid by the appellant.".

11. Amendment of section 129, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 129 of the principal Act, —

(i) for the existing clauses (a) and (b) of sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

"(a) on payment of penalty equal to two hundred per cent. of the tax payable on such goods and, in case of exempted goods, on payment of an amount equal to two per cent. of the value of goods or twenty-five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods comes forward for payment of such penalty;

(b) on payment of penalty equal to fifty per cent. of the value of the goods or two hundred per cent. of the tax payable on such goods,

whichever is higher, and in case of exempted goods, on payment of an amount equal to five per cent. of the value of goods or twenty-five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods does not come forward for payment of such penalty;";

(ii) the existing sub-section (2) shall be deleted;

(iii) for the existing sub-section (3), the following shall be substituted, namely:–

"(3) The proper officer detaining or seizing goods or conveyance shall issue a notice within seven days of such detention or seizure, specifying the penalty payable, and thereafter, pass an order within a period of seven days from the date of service of such notice, for payment of penalty under clause (a) or clause (b) of sub-section (1).";

(iv) in sub-section (4), for the existing expression "No tax, interest or penalty", the expression "No penalty" shall be substituted;

(v) for the existing sub-section (6), the following shall be substituted, namely:–

"(6) Where the person transporting any goods or the owner of such goods fails to pay the amount of penalty under sub-section (1) within fifteen days from the date of receipt of the copy of the order passed under sub-section (3), the goods or conveyance so detained or seized shall be liable to be sold or disposed of otherwise, in such manner and within such time as may be prescribed, to recover the penalty payable under sub-section (3):

Provided that the conveyance shall be released on payment by the transporter of penalty under sub-section (3) or one lakh rupees, whichever is less:

Provided further that where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or are likely to depreciate in value with passage of time, the said period of fifteen days may be reduced by the proper officer.".

12. Amendment of section 130, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 130 of the principal Act, —

(i) in sub-section (1), for the existing expression "Notwithstanding anything contained in this Act, if ", the word "Where" shall be substituted;

(ii) in the second proviso to sub-section (2), for the existing expression "amount of penalty leviable under sub-section (1) of section 129", the expression "penalty equal to hundred percent of the tax payable on such goods" shall be substituted;

(iii) the existing sub-section (3) shall be deleted.

13. Substitution of section 151, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- For the existing section 151 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:–

"**151. Power to call for information.-** The Commissioner or an officer authorised by him may, by an order, direct any person to furnish information relating to any matter dealt with in connection with this Act, within such time, in such form, and in such manner, as may be specified therein.".

14. Amendment of section 152, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 152 of the principal Act, —

(i) in sub-section (1), —

(a) the existing expression "of any individual return or part thereof" shall be deleted;

(b) after the existing expression "any proceedings under this Act" and before the existing punctuation mark ".", the expression "without giving an opportunity of being heard to the person concerned" shall be inserted;

(ii) the existing sub-section (2) shall be deleted.

15. Amendment of Schedule II, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In Schedule II of the principal Act, the existing paragraph 7 shall be deleted and shall be deemed to have been deleted with effect from the 1st day of July, 2017.

विनोद कुमार भारवानी,

Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।